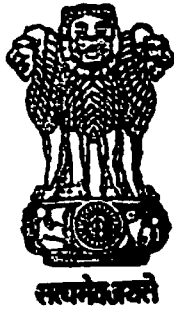


(2)
~~3236~~
3235
16/8/12



असंशोधित

7 AUG 2012

बिहार विधान-सभा वादवृत्त

सरकारी प्रतिवेदन

(भाग 2-कार्यवाही-प्रश्नोत्तर रहित)

प्रतिवेदन संख्या
सं.सं.प्र.सं. १२५६ दिनांक १६-८-१२

टर्न-८/अंजनी/दि० ०७.०८.१२

..

अध्यक्ष : माननीय प्रभारी मंत्री, गृह(विशेष)विभाग ।

श्री विजय कुमार चौधरी, मंत्री : महोदय, मैं निजी सुरक्षा अभिकरण (विनियमन) अधिनियम, २००५ की धारा-२५(३) के तहत "बिहार निजी सुरक्षा अभिकरण नियमावली, २०११" की प्रति सदन के पटल पर रखता हूँ ।

बिहार विधान सभा के समितियों के प्रतिवेदनों का सभा के समक्ष रखा जाना

अध्यक्ष : माननीय सभापति, याचिका समिति ।

श्री श्याम बिहारी प्रसाद : अध्यक्ष महोदय, मैं बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-२११(१) के तहत पंचदश बिहार विधान सभा की याचिका समिति का ८वाँ, ९वाँ, १०वाँ एवं ११वाँ प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, मैं सभापति, जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति की हैसियत से समिति का १४वाँ प्रतिवेदन जो ऊर्जा विभाग से संबंधित है, बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-२११ के तहत सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति ।

श्री अमरेन्द्र प्रताप सिंह : महोदय, मैं सभापति, जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति की हैसियत से बिहार विधान-सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-२११ के तहत वर्ष २०११-१२ के ग्रामीण विकास विभाग और पंचायती राज विभाग से संबंधित बिहार विधान सभा की जिला परिषद एवं पंचायती राज समिति का १३वाँ प्रतिवेदन सदन में उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सभापति, प्राक्कलन समिति ।

डॉ० इजहार अहमद : अध्यक्ष महोदय, मैं सभापति, प्राक्कलन समिति का १४७वाँ प्रतिवेदन की एक प्रति बिहार विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली के नियम-२११ के अंतर्गत सदन के पटल पर उपस्थापित करता हूँ ।

अध्यक्ष : माननीय सदस्यगण, आज के लिए सूचीबद्ध ध्यानाकर्षण विनियोग विधेयक के पश्चात् लिये जायेंगे ।